संख्या: 147/2026/I/1451379/2026-68-5002(003)/1/2025

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊः दिनांकः 03 सितम्बर, 2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रांश की फर्स्ट मदर सेंक्शन के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/वित्त-बजट/3850/2026-27, दिनांक 19.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष -2202-01-113-01-0101-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की 1st Mother Sanction के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू0 48205.80 लाख स्टेट इम्पलीमेन्टिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत अनुदान सं0-71 के लेखाशीर्ष-2202-01-113-01-0101-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 462249.60 लाख (मूल प्राविधान धनराशि रू0 513944.63 लाख में से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 51695.03 लाख घटाते हुए) के सापेक्ष 1st Mother Sanction के रूप में धनराशि **रू0 48205.80 लाख (रुपये चार अरब बयासी करोड़ पांच लाख अस्सी हज़ार मात्र)** (केन्द्रांश धनराशि रू0 28923.48 लाख एवं राज्यांश धनराशि रू0 19282.32 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।

(2) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही-प्रस्तावित धनराशि का व्यय किया जाएगा।

(3) निर्धारित कार्यो से इतर धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा व किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(4) भौतिक प्रगति की रिपोर्ट एवं व्यय की गयी समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2025 तथा योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-''लेखाशीर्ष-'2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा अभियान-01-केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रायोजित योजनाएं-0101- वेतनादि से भिन्न मदें (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-162-X-2026-27, दिनांक 31 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश ।
8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन ।
10- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।